



SET

State Eligibility Test

राज्य पात्रता परीक्षा

राजनीति विज्ञान

पेपर - 2 || भाग - 4

भारत में राजनीतिक संस्थाएँ
एवं राजनीतिक प्रक्रियाएँ



Unit -7

भारत में राजनीतिक संस्थाएँ

1.	भारतीय संविधान का निर्माण	1
2.	संविधान निर्माण में राष्ट्रीय आन्दोलन का योगदान	7
3.	भारत में संविधान वाद	12
4.	संविधान में संशोधन	23
5.	निर्वाचन प्रक्रिया	25
6.	स्थानीय शासन संस्थाएँ	29
7.	संवैधानिक एवं सांविधिक संस्थाएँ	33
8.	संविधान के भाग	40
9.	अनुसूचियाँ	44
10.	प्रस्तावना	50
11.	संघ एवं राज्यक्षेत्र	57
12.	मौलिक अधिकार	63
13.	नीति निदेशक तत्व	83
14.	मौलिक कर्तव्य	91
15.	संघ सरकार (राष्ट्रपति) (उपराष्ट्रपति) (प्रधानमंत्री) (महान्यायवादी)	92
16.	संसद	120
17.	संसदीय समितियाँ	136
18.	न्यायपालिका	144
19.	नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक	155
20.	राज्य सरकार (राल्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता)	156

21.	विधान मण्डल	165
22.	उच्च न्यायालय	170
23.	संघात्मक शासन	174
24.	केन्द्र राज्य विधायी संबंध	179
25.	अन्य संस्थाएँ	182
26.	केन्द्र राज्य वितीय संबंध	189
27.	भारत में राष्ट्रनिर्माण की चुनौतियाँ	193
28.	सिविल सेवा	203

Unit – 8

भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएँ

1.	राज्य अर्थव्यवस्था तथा विकास	208
2.	विकास योजना	212
3.	नव आर्थिक नीति	215
4.	मानव विकास	217
5.	वैश्वीकरण	219
6.	पहचान की राजनीति	221
7.	सामाजिक समाज के समुह	224
8.	नागरिक समाज के समुह	227
9.	भारतीय राजनीति का क्षेत्रीकरण	231
10.	भारत में लिंग एवं राजनीति	237
11.	चुनावी राजनीति	239

भारत में राजनीतिक संस्थाएँ

→ मार्कीय संविधान का निर्माण -

आपनिवेशक विरासत - २६ जनवरी, १९५० को भारत के लए गणराज्य का शुभारम्भ हुआ और भारत अपने लक्ष्य वित्तव्य में पहली बार एक आधुनिक रूप के साथ हुआ संसदीय नोकरी का बना।

लोकतन्त्र एवं प्राचीन इतिहास संस्थाएँ संस्थाएँ भारत के लिए हुनितया हुई तहीं हैं।

प्राचीनकाल में कठिले की आम सभा को 'आमेत' कहते थे और सभा अपेक्षितया थी और अपौर्य चयानित वरिष्ठ लोगों की बनायी जो आधुनिक विधानमण्डलों में उच्च सदन के समान ही।

वी) र) आधुनिक संसद का प्रारम्भ माला जासकता है। आधुनिक अधिग्राम में, संसदीय रासत प्राप्ति एवं विधायी संस्थाओं का प्रारम्भ एवं विकास लगभग दो शताब्दियों तक बिट्ठते हुए भारत के संघरणों से जुड़ा हुआ है।

परन्तु यह मालाले ना सही नहीं हो गा कि बिल्कुल बिट्ठते जैसी संस्थाएँ किसी समय भारत में स्थापित हो गई।

आज जिस रूप में भारत की संसद और संसदीय संस्थाओं को हम जाते हैं, उनका विकास भारत में ही

→ इनका विकास विदेशी शासन से मुक्ति के लिए और स्वतंत्र लोकतंत्रामुख संस्थाओं की स्थापना के लिए भी अगले अंतर्वर्ष भी और ब्रिटिश शासन के छारा करने के लिए और अपने संविधानों के लिए गए संविधानों मुद्यारों के छारा हुआ, जो कि निम्न प्रकार हैः—

1773 का रैमबलोहिंग एड

- ① कृपती डायरेक्टरों को ब्रिटेश संसद ने कम्पनी के राजस्व, दीवानी एवं सैन्य प्रशासन से संबंधित मामलों से अवगत कराने का निर्देश दिया।
- ② इस आधिकारिकम हारा 1775ई. में बंगाल में एक सुन्दरीम कोटि की स्थापना की गई। इस व्यायालय में प्राथमिक तथा अपील के आधिकार की अनुमति दी गई।
- ③ बंगाल में एक प्रशासन का मॉडल गठित किया गया, जिसमें गवर्नर-जनरल तथा चार पार्षद नियुक्त किए गए। ये पार्षद सैन्य तथा नागरिक प्रशासन से संबंधित, नियंत्रित हुमत के आधार पर लिए जाते थे।
- ④ काशी बताने का आधिकार गवर्नर-जनरल समेत उसके परिषद् को दिया गया, परन्तु इन काशी को लागू करने से पूर्व भारत संघित से अनुमति प्राप्त नहीं आवार्य था।
- ⑤ बंगाल के गवर्नर को अब समस्त अंग्रेजी छोटों का गवर्नर कहा गया।

1793 का चार्टर एवं

(१) कम्पनी के व्यापारिक आदेशकारों को १० साल के लिए अपैर छढ़ा दिया गया।

(२) कम्पनी के नियमों व आदेशकारियों को ब्रेतान मार्गीय कोष से दिया जाते लगा।

(३) नवर्ती बनारेल का महासात्या बनवई फ्रेसीडेंसियों पर आधिकार स्पष्ट कर दिया गया।

1813 का चार्टर एवं

→ इसाई मेशाल्यरेयों द्वारा मारत में व्यामिक सुविधाओं की माँग, कम्पनी के एकाधिकार के समाप्त करन, लॉटरीलेजली की मारत में आक्रामक लीजेत तथा कम्पनी की व्यानीय आर्थिक स्थिति के आलोक में 1813 का चार्टर एवं ब्रिटेश संसद द्वारा पारित होया गया, जिसके मुख्य प्रावधान निम्न थे।

१. कम्पनी को अगले १० वर्षों के लिए मार्गीय पृष्ठरों तथा राजस्व पर नियमों का आधिकार दिया गया, किन्तु स्पष्ट कर दिया गया। के इससे इन पृष्ठरों के क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

१. कम्पनी का भारतीय व्यापार पर उकाइबिकार समाप्त कर दिया गया। अधिपि छसका चीन से व्यापार औ चाय के व्यापार पर उकाइबिकार लगा रहा।

३. इसाई घर्मी प्रचारकों को भारत में घर्मी प्रचार के लिए आने की जुरिवेला प्राप्त हो गई।

1833 का चार्टर एड

५. भारत में बास प्रद्युम्ना को और - काल्पनी घोषित कर दिया गया तथा गवर्नर - जनरल को निर्देश दिया गया। वह भारत से बास प्रद्युम्ना को समाप्त करने के लिए आवश्यक ठहर ३८१८।

६. चाय का व्यापार हाया चीन के साथ व्यापार करने संबंधी कम्पनी को अधिकार को समाप्त कर दिया गया।

७. गवर्नर - जनरल की परिषद में काल्पनी सदस्य की नियुक्ति की गई।

८. इस अधिनियम में स्पष्ट कर दिया गया ने कम्पनी की परिषद में निवास करने वाले किसी भारतीय ने उल्लंघन, विरोध, रुपाया जल्द स्थान आदि के आधार पर कम्पनी के किसी के किसी पद से, जिसके लिए योग्य है, वाचित नहीं किया जाएगा।

1853 का चार्टर आधिकारियम -

- (१) उंगाल के लिए पृथक् लोकेटनेट गवर्नर की नियुक्ति की गई।
- (२) कम्पनी के कर्मचारियों की नियुक्ति ने लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई।
- (३) नेहरू मठल में सदस्यों की संख्या १५ से कम कर १८ तक की गई तथा इनमें में ६ सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार ब्रिटिश राजा को दिया गया।
- (४) कार्यकारिणी परेषद के 'नाशन सदस्य' के परेषद का पूरा सदस्य बना दिया गया।

1858 का भारतीय शासन आधिकारियम

- (१) भारत का शासन ब्रिटिश की संसद को दिया गया।
- (२) अब भारत का शासन, ब्रिटिश साम्राज्ञी की ओर से भारत राज्य सचिव के चलाला था, जिसकी सहायता के लिए १५ सदस्यीय भारत परेषद का गठन किया गया।
- (३) अनुबंध सेविल सेवा में नियुक्तियाँ रुली प्रोत्योगीता द्वारा की जाते लगी।

कैल्फीय सरकार

कार्यपालिका

मुख्य कार्यपालिका का आधिकारी गवर्नर-जनरल था। 1919 के अधिनियम में जमी ठिकानों को कैल्फीय एवं प्रालीय दो भागों में बांटा गया।

गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी के आदि सदस्यों में तीन मारतीय नियुक्त लेउ, जिन्हें लेवेल, शोधना, उद्योग, अम, स्वास्थ्य जैसे विभाग सँपेगा।

पूल के आरक्षित विषयों में स्वतंत्रतेप का गवर्नर-जनरल की पूरी अधिकार प्राप्त था।

गवर्नर-जनरल के मार्गों पर कठौती न। आधिकार था। साथ ही वह कैल्फीय व्यवस्थापिका द्वारा अस्वीकृत प्रस्तावों के पारित न अस्वादेश जारी कर सकता था।

राजस्थापिका

(१) सदस्य प्रति पूँछ सकते थे, अनुप्रूप मार्गों व उथगत प्रस्तावों को ला सकते थे, बजाए के अस्वीकार न न सकते थे।

(२) राज्यपरेष्ट का कार्यकाल ५ वर्ष चाला गया तथा उसमें प्राप्त ही इसके सदस्य बन सकते थे, जबकि कैल्फीय विधान सभा का कार्यकाल ३ वर्ष था, और गवर्नर जनरल की समीक्षा पर बढ़ाया भी जा सकता था।

→ भारत के सांविद्यान निम्नांग में भारतीय राष्ट्रीय आनंदोलन का योगदान -

→ भारत के सांविद्यान निम्नांग में भारतीय राष्ट्रीय आनंदोलन अवृत्तिवालीय रूप से हुआ।

→ इस आनंदोलन की शुरुआत 1857 के बाद से पांच साल बिंद्रोह से ही मात्री हुई।

→ उन्नाल विभाजन के बाद भारत के लोगों अपना चुनौती का एक सांविद्यान निम्नांग की बात सोचने लगे थे।

→ अप्रैल 1909 के भारतीय पारेष्ट्र आंघोनियम में भारतीयों को सांभंत मात्रा में आंधकार किए गए थे।

→ सरराज पार्टी की स्थापना भी इसी उद्देश्य के साथ हुई थी तथा राष्ट्रीय परिषद् में भारतीयों को उच्चत रूपाना प्राप्त हो।

→ भारत के सांविद्यान निम्नांग की पहली पहला लोड्स सांभंती की रिपोर्ट के माध्यम से की गई थी, जिसमें भारतीयों की ओले पहली भारतीय आंधकार की बात की गई।

लोहा सामिति की रिपोर्ट (1928)

साइमन कमीशन द्वारा भारतीय लोहा (१०) की एक अवधि
संचालन बलाने की चुनौती पेश। लोहा जाते के उपरांत
सोलीलाल लोहा की मध्यमता में एक सामिति का गठन
किया गया, जिसे लोहा सामिति अथवा लोहा कमिटी के
नाम से जाना जाता है।

इस सामिति की मध्य सदस्य सुभाषचंद्र बोस
तथा तेजबाहुर समूह है।

(१० अगस्त, १९२८ की) इस्तुत की गई समिति की रिपोर्ट
लोहा रेपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है।

यह भारतवासियों द्वारा अपने ही के लिए
संचालन बनाए जाते का पृष्ठम प्रयाज था।

साइमन कमीशन

- भारत में व्याति परिस्थितियों (१०) जांचने एवं उन
पर अपना प्रतिवेदन हेतु हेतु सरजांत साइमन की
मध्यमता में एक सामिति का गठन किया गया, जिसे
लोहा सामिति अथवा लोहा कमिटी के नाम से जाता है।

इस आयोग में एक भी मारतीय को सदर्या न गवाउना करने पर मारतीयों ने स्वयं को अपमानित समझा। इस आयोग का विरोध किया।

साइमन आयोग ने वर्ष 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें प्रालोक में प्रतिक्रिया सरकार की सिफारिश तो की गई, लोकोन बैठक में प्रतिक्रिया सरकार की स्थापना को स्वागत रखा गया।

मारत सरकार अधिनियम (1935)

भारत में 1861 ई. में आरम्भ हुई संवैधानिक विभास की प्रारूपिया का आनंदमन्दरा 1935. का भारत सरकार अधिनियम था।

यह कला भी गया है कि 1935 के चुनावों ने विभिन्न छारा भारत में अपना शासन कार्यका रखने और सल्लुलन छारा रखने के प्रयत्न में किया गया। सारांभ के वृत्तिलापनी और आरेखरी, पूर्यता था। इस अधिनियम के प्रमुख व्यावधान निम्न थे:-

इस अधिनियम में प्रस्तावित संघ में सभी ब्रिटेन, मारतीय प्रालोकों, मुख्य आमुकत के प्रालोक तथा सभी मारतीय प्रालोकों का सम्मालन हो। वैकल्पक था।

इसमें दो शर्तें थीं - पृथम, रियासत के मुकाबिलियों में व्युत्तम अधिक प्रतिक्रिया द्यति वाली रियासत संघ में सम्मिलित हो।

हेतीय - रात्रि थी नि रियासतों की कुल जनसंख्या में से आधा जनसंख्या बाली रियासतों संघ में सांमर्मित नहीं, जब रात्रि पर इन सभी रियासतों के संघ में सांमर्मित दीवा था, उनका उल्लेख एवं पत्र में किया जावा था।

- कैद में समस्त संघवालों का कैदखोल्दु गवर्नर - जनरल था। प्रशासन के विषयों को हो भागों में विभक्त किया गया - सुरक्षित एवं व्यवस्थापन।

- संघीय सभा का कार्यकाल पाँच वर्ष होता था। १८५७ सदस्यों में से १५० प्रालोक अधिकारी और जांचकार्यकालीन। १८५८ सदस्य रियासतों के होते थे।

- सभी विषय तीन सूची में लिए गए।

- प्रालोकों का स्वाचलना एवं पृथक् विधि पर्याप्त बताते का आधिकार मिला करता।

- गवर्नर प्रालोक में ताजा की मनोरीत प्राप्तिनिधि होता था, जो महामहिम ताजा की ओर से समस्त कार्यों का संचालन एवं नियन्त्रण करता था।

- सभी सदस्यों का निवाचन सीधे लॉट पर होता था। मताधिकार में वृद्धि की गई। पुरुषों की समाज मालिकों को भी मताधिकार प्रदान किया गया।

- कैद में हैव - शासन की स्थापना की गई।

मानवरक्षण योजना (1947)

→ हिंदू में सामृद्धकार्यक दिसंसा और ग्राम्युद्ध की विधाते की विवरता को देखते हुए ३ जून, १९४७ को मारत के लक्षणों के बायसराय लाई मानवरक्षण ते मारत और पानीस्तान के भव्य उत्तरारे के प्रयत्न पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लेताओं के साथ एक योजना तैयार की, जिसके मानवरक्षण योजना के नाम से जाता जाता है।

इस योजना के अनुसार, हिंदू मुसल्य सम्पर्कों का समायोजन करने एवं (२-तात्त्विक) प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए हिंदू के दो भागों मारत और पानीस्तान में विभागित करने का परामर्श दिया गया।

→ योजना के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं—
बंगाल और पंजाब के प्रालीय विवाह सभा के दो कहा जाए तो दो भागों में आधिकारिक हैं।

एक भाग में मुस्लिम बहुमत वाले जिलों के प्रतिनिधि होंगे और दूसरे भाग में शेष प्रान्त के

हिंदू भाग के सदर्य पृथक् रूप रो इस बात के लिए मतदात होंगे तो क्या उस प्रान्त का विभाजन किया जाए।

+ भारत में संविधानवाद

→ संविधानवाद सरकार के उस स्वरूप को कहते हैं, जिसमें संविधान की प्रमुख भूमिका होती है।

→ अधिकारियों के मतभाव निर्णय की छूट ठेके के स्थान पर 'कानून के राज्य' का पद लेता है संविधानवाद है।

लोकतंत्र

→ लोकतंत्र - "जनता हारा, जनता की लिए, जनता का शासन है।"

→ जिसका मतलब लोकतंत्र साकृति है लोकतंत्र लोगों के हारा चुने गए प्रतिनिधियों के हारा जनता के हेतु में कार्य करते की एक शासन प्रणाली है।

→ समय और परिस्थिति के अनुसार लोकतंत्र की अवधारणा भी बदलती रही, जबकि जीतेंगे ने लोकतंत्र की विमेत अवधारणा रखी।

→ जिसमें से उक्त सभी आज तक शिक्षावित नहीं हैं।

प्रावधानों → वर्ष 1909, 1919, 1935 के लोकतान्त्रिक बना लिया गया भारत सरकार अधिकारियमों में अपना स्थान

→ वर्ष 1950 के दौरान सांविधान समान्वयी मोहर वित्तार-विमर्श हेतु के बाद ही संवादप्रयोग से भारत में लोकतन्त्र लागू कर दिया गया।

भारत का संसदीय स्वाम्प गांधीजी की सिद्धान्तों के आलोक में ग्रामस्तरीय सरकार की चुनाव में सार्वभौम वयस्क मताधिकार व आवधिक चुनाव के सिद्धान्त पर आधारित है।

* प्राक्रियात्मक लोकतन्त्र

- प्राक्रियात्मक लोकतन्त्र को मानने वाले भारत में लोकतन्त्र को सफल मानते हैं।

- यह लोकतन्त्र, मार्गीदारी तथा प्रतिस्पद्यों पर टिका हुआ है।

- ये भारत में चुनाव की प्रारंभिकता और चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पद्यों द्वारा दर्शाए जाते हैं।

- यह लोकतन्त्र मतदान प्रारंभिक और प्रारंभियों द्वारा पड़ दिए गये वोटों की मात्रा का मार्गीदारी का दर्शाता है।

- वे मतदान, प्रारंभिक और मत प्रतिरक्षा के प्रबल प्रवालयों को उपलब्धित करते हैं।

- वी मतदान प्रतिशत और विवर्चित दोष विशेषज्ञ समाजिक - आर्थिक आँकड़ों के साथ मार्गदारी के बहु परिवर्तनीय संबंध पर विचार करते हैं।

इस आधार पर कि यह विश्लेषण सर्वेषां पर आधारित होता है और केसी डोज-विशेष के समाजिक, आर्थिक व राजनीतिक कारकों को द्यात में दर्शता है।

तथापि कुछ विहान सर्वेषां विश्लेषण को नुटियों से भरपूर मानते हैं, क्योंकि यह गुणवत्तामन आँकड़ों द्वारा समर्थित नहीं होता।

तथा चुनावों के लिये की अवधिक लिए आकोंडी भी प्रदान नहीं करते।

प्रक्रियात्मक लोकान्न ने भारत में राष्ट्र-निर्माण में योगदान किया।

पूर्व दराकों में, विशेषज्ञों का व्यावहर इस बात की जाँच करने पर लगा था कि इसमें सार्वभौमिक धर्म सत्ताओं का और ज्ञाविद्यक चुनाव को पुनर्स्थापिता की माध्यम से राष्ट्र निर्माण में कैसे प्रकार सहायता की

* सत्तावाचक लोकतंत्र

- भारत में सत्तावाचक लोकतंत्र को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महसूसपूर्ण रूपान्तर प्राप्त है।
- सत्तावाचक लोकतंत्र अमीरितरपेक्षता, अल्पांतरानु तथा विकास के सिद्धान्त पर आधारित है।
- सभ्य समाज भी सत्तावाचक लोकतंत्र एवं उन अविवाही संघरण रहा है।
- यह सभी घंटों एवं सामूहिक कार्यों को सभ्य समाज के शृंपति में लेता है।
- सत्तावाचक लोकतंत्र विषयक व्यावायिकों को आवश्यक मानता है।
- इसको राष्ट्र-राज्य के सामने एक-चुनौती के साथ-साथ केरा की लोकतांत्रिक विषय-वस्तु में छोड़े के रूप में भी लिया जाता है।
- 1973 के तथा 1975 के संविधान संशोधन के द्वारा विनियोगिकरण को लोकतांत्रिकरण कर दिया गया हसरे लोकतंत्र का कार्यक्षेत्र विश्ववत् होगया, ताकि उसमें मानवाएं अप्यंपेष्ठ वा वसामान्जन के सभी वर्गों मासके।